

प्रकाशक,

अशोक नागेली,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

तेकेहरी,
तेन्दुल बोर्ड आफ तेकेहरी संजुखान,
2/19 सन्त बिहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 1131 अनुभाग

लघानुक्र: दिनांक: 27 अगस्त, 1992.

विषय :- तमरफील्ड रेजिडेंसियल स्कूल, हरबटपुर, देहरादून को
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कड़ने का निदेश हुआ है कि तमरफील्ड
रेजिडेंसियल स्कूल, हरबटपुर, देहरादून को तेन्दुल बोर्ड आफ तेकेहरी
संजुखान, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को
निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अपात्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोताइली का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणीकृत वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता तेन्दुल बोर्ड आफ तेकेहरी संजुखान, नई दिल्ली/तेन्दुल बोर्ड आफ तेकेहरी संजुखान, नई दिल्ली/तेन्दुल बोर्ड आफ तेकेहरी संजुखान, नई दिल्ली काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्वामिन्स, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के शिक्षक तथा शिक्षकत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं

B.4.5.3
17/18

दिये जायेंगे ।

- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवाश्रुति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्रा उसका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्ध नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तंत्रा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तंत्रा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई लूच या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय,

। अशोक गांगुली ।
उप सचिव ।

संख्या-2230/21/151131/92 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

- 1। शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, शिक्षा कार्यालय, 18 पार्क रोड, मन्डला ।
- 2। मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मन्डला मण्डल, देहरादून ।
- 3। निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, मन्डला ।
- 4। जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।
- 5। प्रबन्धक, समरफील्ड रिजिडेंटियल स्कूल, हरमदपुर, देहरादून ।

आज्ञा से,

Sharma
। अशोक गांगुली ।
उप सचिव ।